

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवारों, राजस्थान जयपुर

क्रमांक. नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/2019/

दिनांक

—:आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008, एफ 14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं एफ 15(1)एफ डी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स प्रथम/नर्सिंग ट्यूटर जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सु श्री)	पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त/प्राप्त पे-बैंड	देय ग्रेड-पे / पे-मैट्रिक्स लेवल
1.	दिनोद कुमार पारीक	नर्सिंग ट्यूटर	जयपुर	03.03.92	03.03.19	L-13	L-14
2.	महेश कुमार विजय	पीएचएन	जयपुर	28.02.92	28.02.19	L-13	L-14
3.	कैलाश चन्द	नर्स प्रथम	नागौर	29.02.92	29.02.19	L-13	L-14
4.	विरेंद्र कुमार	नर्स प्रथम	जयपुर	30.03.92	30.03.19	L-13	L-14
5.	राकेश कुमार	नर्स प्रथम	जयपुर	09.04.92	01.07.19	L-13	L-14
6.	सुनेल चन्द गुप्ता	पीएचएन	जयपुर	28.02.92	28.02.19	L-13	L-14
7.	दयालजीत मीणा	उप प्रधानाचार्य	भरतपुर	30.08.94	30.08.12	9300-34800	4200/-

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी सतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके सबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

रक्त कामिको का वेतन नियतन राजधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवारों  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक 12.06.2019.

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/2019/279

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवारों, जोन।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
3. संबंधित अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग में वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवारों  
राजस्थान जयपुर